विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कृषि
तारांकित प्रश्न संख्या	:	5238
उत्तर की तिथि	:	11.08.2022
विषय	:	मुख्य मंत्री पॉलीहाउस नवीनीकरण योजना
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) यह सत्य है कि मुख्य मंत्री पॉलीहाउस नवीनीकरण योजना प्रदेश में चलाई जा रही है; यदि हां, तो इसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं; और	(क) तथा (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) सरकार इसी योजना की तर्ज़ पर एंटी हेलनेट पर भी कोई नवीनीकरण योजना लाने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?	

श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल–कोटखाई) द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5238 से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) जी हां, प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है जिसको अब मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के ग्रीनहाउस नवीनीकरण से सम्बंधित घटक के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से है :–

1. योजना के इस घटक के तहत संरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जी/सब्जी नर्सरी उत्पादन में लगे हुए किसानों को 70 प्रतिशत सहायता व्यक्तिगत रूप से पॉलीहाउस की शीट बदलने हेतु उपलब्ध करवाई जाती है।
2. इस योजना में केवल प्रदेश के किसान ही लाभ उठा सकते हैं तथा कोई भी कंपनी/फर्म/वाणिज्यिक एजेंसी सहायता के लिए पात्र नहीं हैं ।
3. पॉलीशीट को बदलने का न्यूनतम क्षेत्र 40 वर्गमीटर और अधिकतम 1000 वर्गमीटर है।
4. पांच साल पुराने पॉलीहाउस के लिए पॉलीशीट का 100 प्रतिशत बदला जाता है और प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के मामले में, पॉलीशीट के क्षतिग्रस्त हिस्से को ही बदलना होगा।
5. योजना के इस घटक का निष्पादन सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं को पूर्ण करने वाले कृषि विभाग द्वारा पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के माध्यम से किया जाता है ।
6. लाभार्थी को योजना के निष्पादन के लिए सेवा प्रदाता को व्यक्तिगत परियोजना लागत के 30 प्रतिशत राशि प्रदान करनी होती है। लाभार्थी को पॉलीशीट के अतिरिक्त मद अपने खर्चे पर वहन करना होता है।

(ख) जी नहीं।